

**मांग संख्या 64**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

केन्द्र क्षेत्रीय योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 2230.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,30,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 2 से 3**

राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत ₹ 140.76 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,40,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के लिए स्थापना अनुदान मद में ₹ 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 5**

अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नगर निगम हेतु ₹ 1125.00 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

सबके लिये आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम हेतु ₹ 1864.01 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

सबके लिये आवास योजना के अंतर्गत नगर पालिका हेतु ₹ 598.71 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8**

सबके लिये आवास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत हेतु ₹ 540.84 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 9**

नेशनल मिशन ऑन आईल सीड एवं आइलपाम योजनान्तर्गत कृषक खेत पाठशाला, कृषक एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण की कार्ययोजना की क्रियान्वयन पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

एनएमएसए योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट, स्वाइल हैल्थ कार्ड एवं परम्परागत कृषि विकास उपयोजना के रूप में सम्मिलित की गई है जिस पर ₹ 0.60 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11**

नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर-स्वाइल हैल्थ मैनेजमेंट योजना के अंतर्गत मशीन उपकरण पर ₹ 91.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 12**

भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप नवीन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के क्रियान्वयन पर ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

अल्पवर्षा से प्रभावित जिलों के कृषकों के फसलों में सिंचाई हेतु डीजल पंपों पर अनुदान पर ₹ 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2402**

**मद क्रमांक 14 से 15**

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत संचालित एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम योजना मद अंतर्गत प्रवर्तित योजनाओं पर ₹ 387.10 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,87,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2403**

**मद क्रमांक 16**

एनपीबीबीडीडी योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ को सहायता ईआईए अंश पर ₹ 33.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 3275**

**मद क्रमांक 17**

निःशुल्क लैपटॉप एवं टेबलेट के प्रदाय हेतु ₹ 207.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,07,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4202**

**मद क्रमांक 18**

पेंशनबाड़ा छात्रावास परिसर में 500 सीटर नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास भवन निर्माण हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4210**

**मद क्रमांक 19**

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स) बिलासपुर के लिए सी.टी.स्कैन मशीन क्रय हेतु ₹ 600.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4801**

**मद क्रमांक 20 से 21**

कृषि पम्पों का ऊर्जाकरण के लिए ₹ 794.51 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 7,94,50,958 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।